न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी।

<u>सत्र परीक्षण संख्या 554/2019</u>
राज्य प्रति रवि पटेल।

<u>आरोप</u>

मैं, देवाशीष अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी आप अभियुक्त रवि पटेल को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 05.08.2014 को लगभग समय 10.15 बजे स्थान बावन बिगहवा गोइठहा थाना कैण्ट वाराणसी की सीमा में आप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी के सदस्यों को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर लक्ष्य करके गोली चला दी। यदि आपके द्वारा चलायी गयी गोली से पुलिस पार्टी के किसी सदस्य की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। तदनुसार आप ने भा0दं0सं0 की धारा 307 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिये आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक– 22.01.2021 ई0

(देवाशीष)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण किये जाने की मांग की।

दिनांक– 22.01.2021 ई0

(देवाशीष)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी।

सत्र परीक्षण संख्या 554/2019
राज्य प्रति रवि पटेल।

22.01.2021:–

आज यह सत्र परीक्षण पत्रावली प्रस्तुत हुई।
अभियुक्त जेल से उपस्थित।
अभियुक्त को आरोपित किये जाने के विन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का ब्योरेवार वर्णन करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया कि वे किन–किन साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करेगें।
बचाव पक्ष द्वारा भी आरोप रचना के सम्बन्ध में अपना तर्क प्रस्तुत किया गया।
पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त अभियुक्त रवि पटेल के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड विधान का प्रथम दृष्ट्या अपराध उसके द्वारा कारित करने की उपधारणा किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में आरोप विरचित किया गया, जिसे अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया, उसके द्वारा आरोप स्वीकार नहीं किया गया तथा विचारण चाहा गया।
चूंकि अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, इसलिये पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.02.2021 को प्रस्तुत हो।
आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षीगण जरिये सम्मन नियत दिनांक के लिये तलब किये जावें।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।